TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3(ii) OF THE EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 3.3.99

NOTIFICATION

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "INDBANK INVESCO (OFFSHORE) FUND", set up under Trust Deed dated 31.07.1996 by Indian Bank and approved by the Securities and Exchange Board of India as on Offshore Mutual Fund for the purpose of the said sub-clause.

The notification shall be subject to the following conditions:

i) The notification will be valid till the time, the Indian Bank continues to be the 'Trustee'. In the event of Indian Bank seeking retirement or its removal by Invesco India Growth Fund Limited as Trustee, the Notification will become null and void;

ii) the notification will be subject to the fulfilment of the conditions imposed by Indbank Invesco(Offshore) Fund or which may be imposed by Reserve Bank of India or Securities and Exchange Board of India;

iii) the amount to be invested in the units of the Mutual Fund shall be remitted to India through normal banking channels or bank certificate(s) showing the funds receipts from abroad for investment in the units under the schemes may be submitted to Reser-- Bank of India; and

.......2/-

iv) trustee fees, custodian fees, and other such fees payable to Indbank Merchant Banking Services Limited a subsidiary of Indian Bank and Administrator to the Mutual Fund shall be repatriated to India through normal banking channels.

Notification No. 10810

(SAMAR BHADRA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

(F.NO. 194/8/96-ITA-I)

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 3.3.99

अधिसूचना

के०आ० (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23घ) के उपखण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा इन्डियन बैंक द्वारा दिनांक 31.7.1996 की ट्रस्ट डीड के अंतर्गत स्थापित और आँफशोर म्युचुअल फंड के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अनुमोदित "इन्डबैंक इन्वेस्को (आँफशोर) फण्ड) को उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है ।

यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगी :-

(i) यह अधिसूचना उस समय तक वैध रहेगी जब तक इन्डियन बैंक "न्यासी" के रूप में बना रहता है । ऐसी अवस्था में जब इन्डियन बैंक अलग होने के लिए प्रार्थना करता है या इन्वेस्को इन्डिया ग्रोथ फण्ड लि० द्वारा न्यासी के रूप में इसे हटा दिया जाता है तो यह अधिसूचना लागू नहीं होगी ;

(ii) यह अधिसूचना इंड बैंक इन्वेस्को (आपशोर) फंड द्वारा अथवा रिजर्व बैंक आँफ इंडिया अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा आरोपित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी ;

(iii) म्युचुअल फंड की इकाइयों में निवेश की जाने वाली राशि को सामान्य बैंकिंग माध्यमों अथवा बैंक प्रमाण पत्र (प-त्रों) के लिए भारत भेजा जाएगा एवं इसे योजनाओं के अधीन इकाइयों में निवेश के लिए विदेश से निधि प्राप्तियों के रूप में दिखाया जाएगा एवं इसे भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ; और

(iv) इंडियन बैंक की सहायक कंपनी इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड एवं म्युचुअल फंड के प्रशासक को देय न्यासी शुल्क, अभिरक्षण शुल्क एवं दूसरे ऐसे शुल्क को सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिए भारत भेजा जाएगा ।

अधिसूचना सं० 10810

समरभद्र
(समर भद्र)
अवर सचिव, भारत सरकार
(फा०सं० 194/8/96-आई टीए-।)

सेवा में,

प्रबंधक,